

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या:—02/2022 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजिकृत कार्यालय—19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर—302001 राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री भैराराम जाति नायक पता—वार्ड नं. 14, कैचिया 36 एमओडी तहसील पीलीबंगा एवं सुभाषचन्द्र पता—चक 36 एमओडी पं. नं. 40/254 किला नं. 03 तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—(मूल ऋणी व बंधकग्रहिता)

2. श्रीमती सुमित्रा पत्नी सुभाष चन्द्र जाति नायक पता—वार्ड नं. 14, कैचिया 36 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—(सह ऋणी)



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

आदेश

दिनांक:—14.05.2022

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इण्डिया लि. के नाम से जाना जाता था) की ओर श्री पराग जैन वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. पूर्व में एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि. के नाम से नॉन बैंकिंग कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध थी जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर था जिसका नाम एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. कर दिया गया एवं इसकी बाबत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के जयपुर कार्यालय से नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जिसके सीआईएन नं. एल 36911 आरजे 1996 पीएलसी 011381 है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. के नाम से भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाईसेंस सं 0 एमयुएम 126 प्रदत्त किया गया एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा-42 की उपधारा 6 के खण्ड 'क' के अनुसारण में अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित करने की अधिसूचना दिनांक 18.9.2017 को जारी की गई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 01.11.2017 को प्रकाशित हुई। इस प्रकार एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि. जिसके द्वारा विपक्षीगण को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। वर्तमान में एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. के नाम से कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध है जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय 19ए धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर में स्थित व कार्यरत है। बैंक जो एक निगमित निकाय है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है।

अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.09.2019 को 'लॉन एग्रीमेन्ट' के तहत 7,10,000/-रुपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान सिक्योरिटी के रूप में तहसीलदार, पीलीबंगा द्वारा दिनांक 15.06.1998 को चक 36 एमओडी के पत्थर नं. 40/254 के किला नं. 03/0.120 हैक्ट. यानि 12953 वर्गफुट कृषिभूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 2070 दलीप राम पुत्र गणपतराम जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के पक्ष में पारित किया गया। उक्त वर्णित भूखण्ड 12953 वर्गफुट में से प्लाट साईज 33 गुण 15 फुट यानि 495 वर्गफुट दलीपराम ने बिलमुक्ता बहक श्री पुरखाराम पुत्र सीताराम

W

जाति छीपा साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा के पक्ष में बैयनामा दिनांक 26.02.2000 को सब रजिस्ट्रार पीलीबंगा के समक्ष पंजीबद्ध किया गया है। तत्पश्चात पुरखाराम पुत्र सीताराम ने उक्त प्लॉट साईज 33 गुणा 15 फुट यानि 495 वर्गफुट सुभाषचन्द्र पुत्र श्री भैराराम जाति नायक निवासी सुरावाली तहसील पीलीबंगा के पक्ष में बैयनामा दिनांक 25.05.2009 को सब रजिस्ट्रार पीलीबंगा के समक्ष पंजीबद्ध किया गया है जिसको अप्रार्थीगण ने उक्त दरतावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 10.02.2021 को ऋणी के खाता को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 8,42,046/-रुपये (अखरे आठ लाख ब्यालिस हजार छियालिस रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शास्तियां व अन्य खर्चे दिनांक 06.07.2021 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।


प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 07.07.2021 अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 12.07.2021 को प्रेषित किया जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया और ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया। इसलिए प्रार्थी बैंक को उसके पास बंधक रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है।

अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी उक्त तहसीलदार, पीलीबंगा द्वारा दिनांक 15.06.1998 को चक 36 एमओडी के पत्थर नं. 40/254 के किला नं. 03/0.120 हैक्ट. यानि 12953 वर्गफुट कृषिभूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 2070 दलीप राम पुत्र गणपतराम जाति जाट साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के पक्ष में पारित किया गया। उक्त वर्णित भूखण्ड 12953 वर्गफुट में से प्लॉट साईज 33 गुणा 15 फुट यानि 495 वर्गफुट दलीपराम ने बिलमुक्ता बहक श्री पुरखाराम पुत्र सीताराम जाति छीपा साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा के पक्ष में बैयनामा दिनांक 26.02.2000 को सब रजिस्ट्रार पीलीबंगा के समक्ष पंजीबद्ध किया गया है। तत्पश्चात पुरखाराम पुत्र सीताराम ने उक्त प्लॉट साईज 33 गुणा 15 फुट यानि 495 वर्गफुट सुभाषचन्द्र पुत्र श्री भैराराम जाति नायक निवासी सुरावाली तहसील पीलीबंगा के पक्ष में बैयनामा दिनांक 25.05.2009 को सब रजिस्ट्रार पीलीबंगा के समक्ष पंजीबद्ध किया गया है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।




जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़